



Neutral Citation No. - 2026:AHC:128853

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण ज़मानत प्रार्थना पत्र संख्या - 19422 सन् 2026

सचिन

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : रघुवंश मिश्रा, राजीव साहनी

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता : जी.ए., रमेश कुमार पांडेय

न्यायालय संख्या - 71

माननीय न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह

- आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, सूचनादाता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री रमेश कुमार पांडे और उ0प्र0 राज्य के लिए विद्वान ए.जी.ए. की दलीलें सुनीं।
- यह ज़मानत प्रार्थना पत्र मुकदमा अपराध संख्या 177 सन् 2025 धारा 103(1), 109(1), 115(2), 352, 351(2) बी.एन.एस. के तहत पुलिस स्टेशन जारचा, ज़िला गौतम बुद्ध नगर में दर्ज मामले में आवेदक को ज़मानत पर रिहा करने के लिए दायर की गई है।
- आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि आवेदक को इस मामले में झूठा फँसाया गया है। कथित अपराध से उसका कोई लेना-देना नहीं है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का यह भी कहना है कि इसी तरह के मामले में शामिल सह-आरोपी निखिल बरहेला को इस न्यायालय की एक समन्वय पीठ ने आपराधिक प्रकीर्ण ज़मानत प्रार्थना पत्र संख्या 8735/2026 दिनांक 16.3.2026 के आदेश द्वारा ज़मानत दे दी थी। उन्होंने आगे कहा कि पूरक शपथपत्र के

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



प्रस्तर संख्या 2 में आपराधिक इतिहास के बारे में पूरी जानकारी दी गई है और वह 31.10.2025 से जेल में है।

4. दूसरी ओर, विद्वान ए.जी.ए. और सूचनादाता के विद्वान अधिवक्ता ने ज़मानत देने की मांग का विरोध किया, लेकिन वे इस तथ्य से इनकार नहीं कर सके कि इसी तरह के मामले में शामिल सह-आरोपी निखिल बरहेला को इस न्यायालय की एक समन्वय पीठ ने ज़मानत दे दी थी। सूचनादाता के विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि आवेदक का मामला नामज़द सह-आरोपियों प्रिंस, बॉबी, बॉबी के बड़े भाई और मनोज नागर के मामलों से अलग है।

5. मैंने दोनों पक्षों के अधिवक्तागण की दलीलों पर विचार किया है और अभिलेख पर मौजूद सामग्री को देखा है।

6. मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, और खासकर इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इसी तरह के मामले में शामिल सह-आरोपी निखिल बरहेला को इस न्यायालय की एक समन्वय पीठ ने ज़मानत दे दी है और उस आदेश को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने न तो रद्द किया है और न ही उस पर रोक लगाई है, और साथ ही आवेदक 31.10.2025 से जेल में बंद है, इसलिए मुझे आवेदक को ज़मानत पर रिहा करना उचित लगता है।

7. ज़मानत की प्रार्थना पत्र **स्वीकार** की जाती है।

8. उपरोक्त मामले में शामिल आवेदक-**सचिन** को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार उतनी ही राशि का पर्सनल बॉन्ड और दो ज़मानतदार पेश करने पर ज़मानत पर रिहा किया जाए, बशर्ते वह नीचे दी गई शर्तों का पालन करे। साथ ही, रिहाई का आदेश जारी करने से पहले ज़मानतदारों का सत्यापन किया जाए।

(i) आवेदक को यह लिखित वचन देना होगा कि जब गवाह न्यायालय में मौजूद हों और साक्ष्य पेश करने के लिए तारीख तय हो, तो वह सुनवाई टालने की मांग नहीं करेगा। यदि वह इस शर्त का पालन नहीं करता है, तो परीक्षण न्यायालय इसे ज़मानत की आज्ञादी का दुरुपयोग मानकर विधि के अनुसार आदेश दे सकता है।

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(ii) आवेदक को तय तारीखों पर परीक्षण न्यायालय के समक्ष स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से मौजूद रहना होगा। अगर वह बिना किसी ठोस कारण के गैर-हाज़िर रहता है, तो परीक्षण न्यायालय उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 229-ए/ बी.एन.एस. की धारा 269 के तहत कार्रवाई कर सकता है।

(iii) यदि आवेदक परीक्षण के दौरान ज़मानत की आज्ञादी का दुरुपयोग करता है, तो उसकी मौजूदगी सुनिश्चित करने के लिए सीआरपीसी की धारा 82/बी.एन.एस.एस. की धारा 84 के तहत उद्घोषणा जारी की जा सकती है। यदि आवेदक ऐसी उद्घोषणा में तय तारीख पर न्यायालय में पेश नहीं होता है, तो परीक्षण न्यायालय उसके खिलाफ विधि के अनुसार आईपीसी की धारा 174-ए / बी.एन.एस. की धारा 209 के तहत कार्रवाई शुरू करेगा।

(iv) आवेदक को इन तारीखों पर परीक्षण न्यायालय के सामने स्वयं मौजूद रहना होगा: (1) मुकदमे की शुरुआत, (2) आरोप तय करना और (3) सीआरपीसी की धारा 313 के तहत बयान दर्ज करते समय। यदि परीक्षण न्यायालय को लगता है कि आवेदक जानबूझकर या बिना किसी उचित कारण के गैर-हाज़िर रहा है, तो परीक्षण न्यायालय इसे ज़मानत की आज्ञादी का दुरुपयोग मानकर उसके खिलाफ विधि के अनुसार कार्रवाई कर सकता है।

9. ऊपर दी गई शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन होने पर ज़मानत रद्द की जा सकती है।

10. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को ज़मानत देते समय की गई टिप्पणियों का विद्वान परीक्षण न्यायाधीश की स्वतंत्र राय बनाने पर कोई असर नहीं पड़ेगा, जो गवाहों की गवाही पर आधारित होगी।

(न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह)

24 जून 2026

ललित शुक्ला

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।